

वैद्यराम बनाम कानीदेवी

नाम न्यायालय

केस संख्या

34/2017

प-1.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20/3/18	वकीलों द्वारा आज कण्डोलेस/कार्य रिपोर्ट जाने से पत्रावली भत 17/4/18 को पेश हो।
	17/4/18	क.क. उपप/ कल्लु लमय - पा लोके पत्रावली कले कल्लु डिग्न 11/5/18 को पेश हो।
	11/5/18	प्रसाइडिय कॉफीसर दोर/ जवकासा पर है। आज भूमि कार्यवाही दिनांक 20/06/18 को पेश हो।
	20/6/18	आज यह पत्रावली न्याय्य आपने द्वारा केंद्र कोशे ग्राम नौगल कले में पेश हुई। पत्रावली का अंकलेकन किया गया। पत्रावली कल्लु लमय पली आ रही है मूल काद-धोषणा व स्याई निषेधाज्ञा का ही मूल काद साक्ष्य के स्तर पर अंतरकार के उक्त में अंतरिम स्याई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है। उक्त में अब न्यायालय अभिमत में स्याई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझते है अब उक्त में स्याई निषेधाज्ञा जारी करने से काद बाहुल्य करने का अपेक्षा रखा है। उक्त में मूल काद में साक्ष्य उपरान्त गुणाकगुण व मेरिट पर निर्णय किया जाना है। आता उपर्युक्त विवेचन अनुसार आपका स्याई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली कल्लु लमय को कल्लु डिग्न से कल्लु लमय कल्लु डिग्न के साथ रहे।

